gfj}kj¼06-08-2013½

उत्तराखण्ड में आयी भारी दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को उत्तराखण्ड भाासन द्वारा दिये गये निर्दे ाों के क्रम में जनपदों द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। हरिद्वार जनपद में भाासन ने जिलाधिकारी को निर्दे ात किया है कि जनपद हरिद्वार में रहने वाले 06 (छः) व्यक्ति भी जो दिनांक 15 व 16.06.2013 को आयी जल प्रलय आपदा के तहत ही गुम ुदा हुए है जिसमें 1–जगदी ा उर्म 45 वर्श निवासी भारत सेवा आश्रम संघ, देवपुरा हरिद्वार 2–सरोज मेहाली उर्म 22 वर्श निवासी भारत सेवा आश्रम संघ, देवपुरा हरिद्वार 3– सर्वलोकानन्द उर्म 40 वर्श निवासी भारत सेवा आश्रम संघ, देवपुरा हरिद्वार 4–पुशु उर्म 60 वर्श निवासी भारत सेवा आश्रम संघ, देवपुरा हरिद्वार 5–केदारनाथा नन्द(अरूण महाराज) उर्म 45 वर्श निवासी भारत सेवा आश्रम संघ, देवपुरा हरिद्वार 6– सत्येन्द्र तिवारी पुत्र श्री विद्या ांकर तिवारी, निवासी हरिद्वार है। इन सभी को भाासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से दी जायेगी। साथ ही साथ बाहर से बहकर आये 04 (चार) भाव जिनकी ि ानाख्त हो चुकी है 1– दिने ा सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह निवासी ब्योसी बिसोली, बदायॅू उत्तर प्रदे ा 2–अमित सिह परमान निवासी ग्राम कामदा पोस्ट बनगांव उत्तरका ाी 3– सन्दीप सिंह विश्ट पुत्र श्री चन्दन सिंह विश्ट निवासी मसोली थाना श्रीनगर पौडी गढवाल 4– बृज मोहन पुत्र पीताम्बर निवासी मसोली थाना श्रीनगर पौडी गढवाल को भी भाासन के दिये हुये निर्दे ाो के अनुपालन में आर्थिक सहायता राि ा जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा ही दी जायेगी। जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी डा0 नरे ा चौधरी ने अवगत कराया कि जनपद हरिद्वार में भाासन से मिले हुए निर्दे ाो के अनुसार 06 गुम ुदा एवं 04 बाहर से बहकर आये भाव जिनकी ि ानाख्त हो चुकी है कुल 10 व्यक्तियों को सत्यापन उपरान्त उनके आश्रितों को जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा भाासन द्वारा निर्धारित आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। हरिद्वार में निवास करने वाले आश्रितों को हरिद्वार में ही तथा जनपद से बाहर निवास करने वाले आश्रितों को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार।